किए जाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं तथा यहां की जलवायु इलैक्ट्रानिक टैक्नोलाजी पर आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। लेकिन इस प्रकार के उद्योग भी यहां नहीं लगाए गए हैं। इन क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए मैं निम्न सुझाव माननीय उद्योग मंत्री जी को उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित करना चाहता हूं :—

1. यहां के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखते हुए यहां पर्यटन की संभावनाओं के विस्तार हेतु पर्यटन को उद्योग घोषित किया जाना आवश्यक है।

2. यहां के प्रत्येक जनपद में दो बड़े मध्यम श्रेणी के उद्योग व उनकी एंसेलरीज स्थापित की जाए।

3. यहां के उद्यमियों को 25 प्रतिशत इन्वेस्टमैंट सबसिडी दाप्रन की जाए तथा 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाए। पूंजी उपादान योजना की धनराशि शीघ्र बढ़ाई जाए तथा इसका वितरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए इस हेतु नियम बने।

4. यहां स्थापित होने वाली इकाइयों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाए तथा विद्युत व्यय एक्चुअल कन्जम्शन के आधार पर वसूल हो तथा विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन योजना स्वरूप माइक्रोहाइडिल योजनाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जाए।

5. यहां स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को बैंकों से कार्यशील पूंजी दिलवाई जाए।

6. इन क्षेत्रों में कच्चे माल व ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने हेतु इन जनपदों के कच्चे माल के डिपो खोले जाने चाहियें।

7. न्यू जैनरेशन आफ इंटरप्रोन्योर को उद्योग संबंधी टैक्निकल नो हाउ, डोर स्टैप पर दी जाए।

8. इन क्षेत्रों के स्थापित उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की मार्किटिंग व्यवस्था कम से कम 10 वर्ष के लिए शासन द्वारा स्थापित मार्किटिंग नियम द्वारा सुनिश्चित की जाए तथा यहां के उद्योगों को एक निश्चित अवधि तक सोसियल प्रोटेक्शन पीरियड के अन्तर्गत रखा जाए।

9. खादी ग्रामोद्योग कमीशन की अधिक से अधिक ईकाइयां, विशेषकर पिथौरागढ़, चमोली जनपदों में स्थापित की जाए।

10. इन क्षेत्रों में इलैक्ट्रोनिक्स टैक्नालाजी पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार एक दीर्घकालीन योजना तैयार करे।

12.08 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

(ii) Laying of a broad Gauge line between Pathankot and Kandla.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, पठानकोट से कांडला पोर्ट ब्राड गेज लाइन का होना देश की सुरक्षा, राजस्थान नहरी क्षेत्र एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास, व्यापारिक, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के विकास एवं विस्तार की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रखता है।

पठानकोट से सूरतगढ़ तक बड़ी लाइन बनी हुई है। सूरतगढ़ से बीकानेर ब्राडगेज लाइन बनाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार ने इस वर्ष दी है। बीकानेर से कोलायत तक छोटी लाइन बनी हुई है। कोलायत से फलौदी तक 110 किलोमीटर की लाइन का सर्वेक्षण हो चुका है, फलौदी से जैसलमेर तक छोटी लाइन बनी हुई है, और जैसलमेर से बाड़मेर, साचार एवं आबू रोड तक नई ब्राड गेज लाइन बनाने से पठानकोट का कांडला पोर्ट से सीधा सम्बन्ध जुड़ जाता है।

यह देश की सबसे बड़ी ब्राडगेज लाइन होगी, उक्त रेलवे लाइन के बनने से काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी यू. पी. एवं राजस्थान का सबसे नजदीकी पोर्ट से संबंध जुड़ने से औद्योगिक, व्यापारिक आयात एवं निर्यात ट्रेड की दृष्टि से बड़ा लाभ होगा। राजस्थान नहर का सम्पूर्ण क्षेत्र इस रेलवे

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

लाइन से जुड़ जायेगा । यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर में गैस एवं पैट्रोल प्राप्ति की बड़ी संभावनायें हैं । जैसल-मेर में तेल की खुदाई की कार्य चालू हो गया है ।

अत: केन्द्र सरकार के रक्षा एवं रेलवे मंत्रियों से निवेदन है कि देश की सुरक्षा एवं उन्नति के लिए पठानकोट से कांडला बड़ी लाइन के जल्दी से जल्दी सर्वेक्षण का कार्य शुरू कराकर उक्त रेलवे लाइन का कार्य युद्ध-स्तर पर शुरू करावें ताकि पिछड़े क्षेत्र भी दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले आ सकें ।

(iii) TEXTILE COMMISSIONER'S ORDER PROHIBITING SPINNING OF THREADS OF HIGH COURTS BY SMALL SPINNING MILLS IN TAMIL NADU

*SHRI D.S.A. SIVAPRAKASAM (Tirunelveli): Sir, under rule 377, I wish to raise the follwong matter of urbent public importance.

It is understood that the Textile Commissioner has recently issued a new order in contravention of the old order relating to Small Spinning Mills (Waste Cotton Mills). Under this new order, the small spinning (Waste-Cotton Mills) cannot spin in higher counts than 10 counts. Consequently, more than 250 scale industries have been brought to grief.

For these small spinning mills (Waste Cotton Mills), the required permission is given by the Textile Commissioner. The capacity of the machinery the counts of thread. The permission given by the Textile Commissioner is valid from 6 months to 2 years. Now, the small spinning mills have got suddenly this new order, according to which the permission given earlier for spinning higher counts lapsed on 31-3-82, since the in these Mills is the deciding factor for small spinning mills can spin only 10 counts.

In Tamil Nadu, all the small spinning mills (Waste Cotton Mills) have taken loans from the banks besides their own investments. There is the imminent danger of all of them becoming extinct. This will affect fore than 50,000 workers in these small spinning mills.

The Government of India should intervene immediately and annual the order of the Textile Commissioner in the interest of survival of small spinning mills (Waste Cotton Mills). They should be allowed to spin upto 40 counts. If this new order is allowed to continue, the prices of 20 counts and 40 counts thread will go up, affecting lakhs and lakhs of weavers.

(iv) GRANT OF SUBSIDY TO RAJASTHAN FARMERS FOR INCREASING PRODUCTION OF SOYABEAN

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तेल की कुल मांग के मुकाबले में उत्पादन की कमी के कारण मांग पूर्ति हेतु भारत सरकार को आयात पर निर्भर करना पड़ रहा है, जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ रही है । इसी को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों के लिए अनेक प्रेरणादायक निर्णय लिए हैं, जैसे सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसान को 650 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान व उसके लिए 270 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य । इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर इस हेतु प्रयोगशालायें व अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं । गत वर्ष खरीफ में राजस्थान राज्य में विशेषकर चम्बल कमांड क्षेत्र में 13,000 हेक्टेयर में सोयाबीन का उत्पादन हुआ था तथा इस वर्ष में आगामी खरीफ के लिए राजस्थान के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सोयाबीन के उत्पादन हेतु 50,009 हेक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । परन्तु खेद है कि राजस्थान में सोयाबीन के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए किसी भी प्रकार का

*The original speech was delivered in Tamil